राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4723/2019

हनुमान सहाय सैनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीएचईडी मुख्यालय कैंपस, जयपुर।
2. अधीक्षक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिटी सर्किल दक्षिण, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिटी डिवीजन–II, दक्षिण, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.12.2019
आदेश की दिनांक : 09.05.2023

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विशाल सक्सेना, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवाकाल को पूर्ण करने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 27.10.2015 के जरिये उनका स्वीकृत चयनित वेतनमान बैंड (5200–20200) ग्रेड वेतन 3600 रखा गया था। बाद में आलौच्य आदेश दिनांक के द्वारा अपीलार्थी का स्वीकृत वेतन श्रृंखला 5200–20200 ग्रेड पे 2800 किया गया, जो उनका वर्तमान वेतन श्रृंखला ही था। इस प्रकार 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात उन्हें कोई लाभ नहीं दिया गया। उनका कथन है कि आलौच्य आदेश दिनांक 14.10.2019 (अनुलग्नक–ए10) निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 5200–20200 ग्रेड वेतन 3600 में स्थिरीकरण किया जावें।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि अधिसूचना दिनांक 28.08.2013 के द्वारा राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में संशोधन के परिणामस्वरूप ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे 2800 में समायोजित हो जाने के कारण अपीलार्थी का वेतन

स्थिरीकरण वेतन श्रृंखला (5200–20200) ग्रेड पे 2800 में दिनांक 01.07.2013 से वेतन स्थिरीकरण कर दिया गया।

3. दोनों पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। बहस के दौरान प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का यह कथन रहा है कि राजस्थान सरकार वित्त विभाग के द्वारा मेमोरेंडम 27.02.2022 जारी कर ग्रेड वेतन 2800 के स्थान पर 3600 किये जाने का निर्णय लिया है। ऐसे में अपीलार्थी के संबंध में ग्रेड वेतन में संशोधन कर दिया जायेगा। प्रत्यर्थी विभाग के उपरोक्त कथन के आधार पर व राजस्थान सरकार वित्त विभाग के द्वारा जारी मेमोरेंडम 27.02.2022 को दृष्टिगत रखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है। आदेश दिनांक 14.10.2019 (अनुलग्नक–ए10) निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वो अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अपीलार्थी को वित्त श्रृंखला 5200–20200 ग्रेड वेतन 3600 में स्थिरीकरण करे एवं उन्हें पारिणामिक लाभ भी प्रदान करे। उक्त आदेश की पालना 2 माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)